**न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।**
**अपील सख्याः–916/2020(जीसीएमएस नं. 2020/00798)**

1. राजेश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल, जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 24, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

**––रेस्पोडेन्ट**

**उपस्थितिः–**
1. **श्री अजयसिंह पुनिया, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

**निर्णय**

**दिनांकः 19.01.2023**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.11.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा ने अपने निर्णय दिनांक 15.11.2019 में पटवारी हल्का चिड़ावा की रिपोर्ट पर ग्राम चिड़ावा में अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 647 रकबा 0.16 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन रास्ते में 94 वर्गमीटर पक्का निमार्ण कर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया तथा आर्थिक दण्डस्वरूप अपीलान्ट पर सरह लगान 60/–रूपये पैनेल्टी आरोपित कर तावान कायम कर वसूलने हेतु एवं मौका से बेदखली का विधि विरूद्ध आदेश दिया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के यहॉ दायर की थी जिस पर जिला कलक्टर ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को बिना समझे ही बचाव में अपीलार्थी द्वारा समुचित साक्ष्य/दस्तावेजात इत्यादि पेश नही करने का आधार मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.11.2020 से तहसीलदार का आदेश यथावत रखे जाने में गंभीर कानूनी भूल कारित की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार चिड़ावा ने मौके की पूर्ण जांच पड़ताल किये बिना ही हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जबकि न तो पटवारी की रिपोर्ट में उल्लेख है कि अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायत का आधार क्या है और ना ही तहसीलदार के आदेश में इसका कोई अंकन है तथा जिला कलक्टर ने भी उसी कदम पर चलते हुए पत्रावली व वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस पर बिना गहन विवेचना किये तहसीलदार के निर्णय को यथावत रखा है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि हॉल खसरा नम्बर 648/1, 651/1 एवं खसरा नम्बर 648/2, 651/2 पुराने खसरा नम्बर 648, 651 पूर्व में वर्ष 1999 में संतोष पत्नी राजेश एवं

संभागीय आयुक्त
जयपुर

**P.T.O.**

द्रोपदी पत्नी शिशराम द्वारा शामिलात बहिस्सा बराबर रजिस्टर्ड खरीदशुदा भूमि है जिसके बाबात सक्षम न्यायालय में दिनांक 07.11.2019 को विधिवत विभाजन का वाद प्रारम्भिक डिक्री हो चुका है तथा अलग–अलग बटा नम्बर डाले जाकर दोनों के बहिस्सा समान 0.2250–0.2250 आयी तथा अपीलान्ट का परिवार हाल खसरा नम्बर 648/1, 651/1 की अपने हिस्से की 0.2250 हैक्टयर भूमि पर काबिज है तथा उतनी ही भूमि खसरा नम्बर 648/2, 651/2 पर भूमि द्रोपदी पत्नी शिशराम का परिवार काबिज है इस तरह हाल खसरा नम्बर का क्षेत्रफल बराबर–बराबर होना तथ्य को साबित करता है कि यदि अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि बाबत किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया होता तो उसकी भूमि का क्षेत्रफल द्रोपदी पत्नी शीशराम की भूमि से अधिक होता अथवा हाल खसरा नम्बर 648/2 व 651/2 का खातेदारी भी अतिक्रमण का भागी होता तथा खसरा नम्बर 646 की 150 वर्गगज भूमि जरिये नोटरीशुदा डीड अपीलान्ट की होना साबित है किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पटवारी की रिपोर्ट पुरी तरह से वेग एवं अस्पष्ट है क्योंकि पटवारी ने रिपोर्ट में रास्ते बाबत कितनी अवधि या वर्ष विशेष से अतिक्रमण होना अंकित नही किया तथा यह भी स्पष्ट नही किया कि अतिक्रमण से पूर्व रास्ते की लम्बाई चौड़ाई क्या रही अर्थात अपीलान्ट के घर के आगे से कितना फुट चौड़ा रास्ता शेष रह गया है, रिपोर्ट से अतिक्रमण बाबत मात्र पक्का निर्माण होना उल्लेख है जिससे यह प्रकट नही होता है कि निर्माण किसी पृथक जगह पर है या अपीलान्ट की चारदीवारी की सीमा से लगता है, इसी प्रकार ये भी स्पष्ट नही है कि कि विवादित जगह निर्माण का ढांचा किस प्रकार का है और किस प्रकार रास्ते का निजी उपयोग किया जा रहा है जिससे अतिक्रमण के बाद रास्ते की सीमा में अब कोई विपरित असर आवागमन पर हुआ है। उन्हाने आगे कथन किया है कि यह सभी खुलासे मौका रिपोर्ट में आना चहिये था जिससे किसी विशेष भाग पर अतिक्रमण होना ज्ञान हो लेकिन पटवरी ने गोलमाल मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय को भी उलझन में डाल दिये जिससे अब मात्र अपीलान्ट की वर्णित दस्तावेजातों अनुरूप आराजीयात की नपती के आधार पर ही अपनी क्षेत्र सीमा से अधिक काबिज नही होना साबित हो सकता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ग्राम की राजनीति का शिकार हुआ है तथ चुनाव में एक पक्ष विशेष का समर्थन नही करने के कारण शिकायतकर्ता इससे रंजिश रखने लगे है और यह झूठी शिकायत कार्यवाही की है जिसके समर्थन में कोई शपथ पत्र भी नही किया तथा महज इन्ही 4, 5 शिकायतकर्ताओं ने ही अन्य फर्जी व्यक्तियों के रूा में शिकायत पर फर्जी हस्ताक्षर किये है। अतः अपील के समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों तहसीलदार चिड़ावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2019 एवं जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2020 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

**P.T.O.**

रेस्पोडेन्ट कीह ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 16.07.2019 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम चिड़ावा की आराजी खसरा नम्बर 647 कुल रकबा 0.16 हैक्टयर किस्म गैर मुमकीन रास्ते में से 94 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा अथवा अधीनस्थ न्यायालय को समक्ष अपने बचाव में विवादित भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में समुचित साक्ष्य/ दस्तावेजात से अपना पक्ष नही रख पाये है जिससे जाहिर हो जाता है कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अवैध अतिक्रण है। ऐसे स्थिति में अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.11.2020 को यथावत रखा जाता है तथा यदि अपीलार्थी के उक्त वादग्रस्त आराज के सम्बन्ध में कोई हक हकूक अधिकार बनता है तो इसके लिये वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/1/23

संभागीय आयुक्त
जयपुर